	छिन्द्रपाल सिह आदि बनाम जगतार सिहं आदि रिमाण्ड प्रकरण सं0 09/2019	
18.02..2020	वकुलाय फरीकेन हाजिर। बहस पक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 02.04.2019 के द्वारा वाके चक 37 एन पी के मु.न. 3 प.न. 208/320 के कि.न. 21–22–23 प्रत्येक में से .013–.013 है0 कुल 0.039 है0 रास्ता डी.एल.सी. की दर की दुगुनी दर से स्वीकृत किया गया था। डी.एल.सी.की दर से राशी जमा होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये। राशी का भुगतान अप्रार्थी सं.1 को करे। इस आदेश के विरूद्व अप्रार्थी सं. जगतारसिहं पुत्र जोरा सिहं जाति जटसिख निवासी 36 एन पी तहसील रायसिहंनगर ने अपील श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी श्री गगांनगर के यहॉ अपील सं. 38/2019 दायर करने पर उनके निर्णय दिनांक 04.10.2019 के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 02.04.2019 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि उक्त नियम 68–69 की पालना कर दोनों पक्षेां को सुनकर विधि अनुसार एक माह में निर्णय पारित किया जावे। प्रकरण इस न्यायालय में प्राप्त होने पर पुनः पेशी में लिया जाकर सम्बधित पक्षकारों को तलब किया गया तथा मौके की रिर्पोट तहसीलदार रायसिहंनगर से ली गई। प्रार्थीगण जगरूपसिहं वगैरा की ओर से श्री रविन्द्र विश्नोई अधिवक्ता हाजिर आये तथा अप्रार्थीगण की ओर से श्री प्रीतमसिहं गिल अधिवक्ता हाजिर आये। तहसीलदार रायसिहंनगर ने अपने पत्र कमांक/ राजस्व /19/1351दिनांक 20.11.2019 के अनुसार प्रार्थी छिन्द्रपालसिहं पुत्र जीवनसिहं जाति बावरी सा. 37 एन पी वगैरा के नाम से चक 37 एन पी के मु.न. 3 प.न. 208/320 के संयुक्त खाते के कि.न. 3/2 के .127, 4ता 7 में 1.012, 8/1में.127, 13/2 में. 127,14 ता 17 में 1.012, 18/2 में .126, 23/2 में.126, 24–25 मे .506है0 कुल 3.162है0 नहरी रकबा रिकॉर्ड दर्ज है। अप्रार्थी जगतारसिहं पुत्र जौरा सिहं जाति जटसिख सा. 37 एन पी के नाम चक 37 एन पी के मु.न. 3 प.न.208/320 के कि.न. 1–2 के .506, 3/1 में .126, 8/2 में.126, 9 ता 12 में 1.012, 13/1 में.127, 18/2 में .127, , 19 में .253,, 20 में.228, 21/1में .215, 22/1 में .240, 23/1 में .114 है0 कुल 2.999है0 नहरी रकबा रिकॉर्ड दर्ज है। मु.न. 3 में पूर्व में स्वीकृत रास्ते को उक्त रिमाण्ड प्रकरण में मु.न. 3 के कि.न. 21–22–23 में कुल 0.03बीस्वा रास्ता स्वीकृत किऐ जाने पर प्रार्थी काश्तकारान को अपने रकबे में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध होगा। प्रार्थी को अपने खेत मु.न. 3 में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उक्त प्रकरण में रास्ता बाबत कोई स्थगन आदेश नहीं है। नजरी नक्शा मौका सलंग्न पत्रावली है। उक्त आदेश की पालना में हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा दिनांक 18.02.2019 को मौका निरीक्षण हमराह पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक एवं सम्बधित पक्षकारों प्रार्थीगण सरजीतकोर पत्नि छिन्द्रपालसिहं, बलराजसिहं–जगरूपसिह पुत्रगण छिन्द्रपालसिहं व अप्रार्थी जगतारसिहं का पुत्र रणजीतसिहं व मुख्त्यारकोर पत्नि कपूरसिहं व सोनूराम पुत्र कपूरसिहं की मोजूदगी में रास्ता का निरीक्षण किया गया। प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिए कोई प्रस्तावित रास्ता के अलावा कोई रास्ता नहीं है।	

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिहंनगर

Scanned with CamScanner

पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अध्योहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा रास्ता मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण को अपने खेत में जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार है। प्रार्थीगण रास्ते की माँग को मध्यनजर रखते हुये इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 02.04.2019 को यथावत् रखना न्यायोचित होगा।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.04.2019 को यथावत् रखा जाता है। तथा उक्त निर्णय में पारित आदेश का अंकन पूर्व अनुसार रहेगा।तथा रास्ते में आई अप्रार्थी सं.1 की भूमि का ही मुआवजा अप्रार्थी सं. 1 को देय होगा। इसी अनुसार रास्ता चालू करवा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी आश्य का आदेश तहसीलदार रायसिहंनगर के नाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुहम्मद जुनैद पीपी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner